

प्रेषक,

एनो रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

मानव संसाधन विकास विभाग।

देहरादून: 14अगस्त, 2001
21

विषय: सैंट पीटर्स स्कूल, किछा (उधमसिंह नगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैंट पीटर्स स्कूल, किछा (उधमसिंह नगर), को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः—

- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- विद्यालय में कम से कम 10प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- संस्था रैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उम्मा० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/रांशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संरथा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

1- कक्षों, शिक्षकों, भूमि तथा भवन की रिपोर्ट रपट करा ली जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संरथा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरथा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की छूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण-पत्र वापस लिया जायेगा।

मवदीय,

(एन० रवि शंकर)
सचिव।

संख्या (1) / 2(230) / मा०सं०वि० / 2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरांचल।

2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, उधमसिंह नगर।

4- प्रबन्धक, सेंट पीटर्स स्कूल, किंच्चा (उधमसिंह नगर)।

5- अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,
N. Ravishankar
(एन० रवि शंकर)
सचिव।